

फारम पी0 एल0 टी0 एस0
दिखें नियम 73/7/1/]
राज्य वाहन परमिट

परमिट संख्या...231

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार
मुजफ्फरपुर

.....प्रदेश

1. धारक का पूरा नाम:- .. श्री अनिल कुमार सिंह
S/O श्री राम चन्द्र सिंह
2. पूरा आवासीय पता:- न. 3 शिवपुरी, दामुचक, मुज0
3. पूरा व्यावसायिक पता:-: वही
4. जिस मार्ग/क्षेत्र के लिए परमिट वैध है ..मार्ग-होली मिशन सिनियर सेकेंड्री स्कूल के बच्चे को मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द ले जाने आने हे
.....कुल दुरी..... km
5. इस परमिट के अधिन आने वाले सवारी वाहनो की कुल सं0.....एक खेप एकल दुरी.....km-
6. इस कुल सं0 मे से परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिय विशेष अवसरों पर जाने के लिय आरक्षित रखे जाने वाले वाहनो की सं0.....नही.....
7. प्रत्येक मार्ग पर अधिकतम और न्युनतम दैनिक फेरों की संख्या.....0 खेप.....
8. भाडे की अधिकतम और न्युनतम दर.....प्रति संलग्न है।
9. सवारी वाहन का उपयोग माल वाहक के रूप उस झेत्र या झेत्रो के भीतर और उस षर्तो के अध्यधिन किया जा सकेगा जो इसमे इसके अधिन विनिर्दिष्ट किया गया है.....नही.....
10. आरक्षित सवारी वाहन का उपयोग ठेका गाडी के रूप मे उन झेत्रो के भीतर और उस षर्तो के अध्यधिन किया जा सकेगा जो इस सवारी वाहन परमिट के लिए जारी पी0सी0ओ0एस0 परमिट सं0..... नही.....
11. परमिट की मान्यता.....05/09/2016.....मे विपिर्दिष्ट किया गया है
.....04/09/2021 तक
12. प्रत्येक सवारी वाहन के निबंधन का विवरण:-
(क) निबंधन चिन्ह.....BR06PB-8032...
(ख) मेक..... M&MLTD (ग) मोडल.....2012
(घ) चेचिस सं0.... निबंधन पुस्तीका के अनुसार (ड) इंजन सं0.... निबंधन पुस्तीका के अनुसार
(च) वैठने कि झमता / चालक संवाहक सहित.....-37-
(छ) अनमत खडी सवारीयो कि सं0.....
13. मोटर गाडी संख्या.... BR06PB-8032..... के लिय.....
के साथ उधार कयापटाटा (लीज) वित पोषन का करार.....
14. शर्ते :- संलग्न है
(क) यह परमिट अधिनियम की धारा 84 और विहार मोटर गाडी नियमावली 1989 के नियम 76 उप नियम (1) एवं (6) मे निधारित षर्तो के अध्यधिन है ।
(ख) यह परमिट इन शर्तो के अध्यधिन भी है कि :-
(1) मार्गो कि अनुमोदित किराया सारनियो को गाडियो के भीतर और परमिट के आवेदन मे विनिर्दिष्ट पडावो / स्टैण्डों पर प्रदषित किया जायेगा ।
(ii) गाडियो के आवासन अनारझन एवं मरम्मत और समान एवं माल को रखने तथा उसकी सु के लिय परमिट के आवेदन मे विनिर्दिष्ट व्यवस्थाए बनाए रखी जायेगी ।
(iii) परिवहन प्राधिकारी को इसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अभिलेख और विवरणी उपस्थापित कि जायेगी
(ग) यह परमिट इनके अतिरिक्त परमिट से संलग्न शर्तो के अध्यधिन है ।
(घ) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी एक महिने से अन्त्युन अवधि की नोटिस देने के बाद...
(1) परमिट के षर्तो मे परिवर्तन कर सकेगा ।
(11) परमिट मे इसके अतिरिक्त षर्तो को संलग्न कर सकेगा ।

तिथि :
स्थान : मुजफ्फरपुर

संयुक्त आयुक्त सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर



GOVERNMENT OF BIHAR

State Transport Department

MUZAFFARPUR

FORM 38

[See Rule 62(1)]

CERTIFICATE OF FITNESS

(Applicable in the case of transport vehicles only)



Vehicle No: BR06PB8032 (Bus) is certified as complying with the provisions of the Motor vehicles Act, 1988 and the rules made there under.

Certificate will expire on : 24-Aug-2021
Next Inspection Due Date : 26-Jul-2021
Inspection Fee Receipt No : BR6R190800000033
Application No : BR19080158956207
Receipt Date : 01-Aug-2019
Chassis No : MESH2KEHD3A10604
Engine No : KEC4L19503
Seating Capacity : 37 (Including Driver)
Type of Body : BUS
Registration No : BR06PB8032
Category of Vehicle : HPV
Printed on : 02-Aug-2019 13:31:58

Manufacturing Year : 2012
Inspected on : 01-Aug-2019

Inspected by (DIVYA PRAKASH)

Signature of Inspecting Authority
MUZAFFARPUR
Vehicle Inspector
Muzaffarpur

बिहार सरकार